

**राजस्थान सरकार**  
**कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,**  
**राजस्थान-अजमेर**

क्रमांक:- एफ2(1564) स्था/पमु/ 4955

दिनांक: 4-7-18

**कार्यालय आदेश**

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित कनिष्ठ लिपिक संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2013 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा डी. बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1693/17 राजस्थान लोक सेवा आयोग बनाम अनिल कुमार में पारित निर्णय की अनुपालना में जारी चयनित अभ्यर्थियों की सूची में से निम्न वर्णित अभ्यर्थियों की नियुक्ति डी.बी. अपील संख्या-965/2017 राजस्थान लोक सेवा आयोग बनाम श्रवण सिंह में पारित आदेश दिनांक 03.11.2017 एवं अन्य याचिकाओं/अपीलों के अन्तिम निर्णय के अध्याधीन रहते हुये प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-3) विभाग, जयपुर के पत्र प.1(6)प्रसु/अनु-3/2017 दिनांक 08.02.2018 के द्वारा विभाग को आवंटित किये जाने पर राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा नियम-1999 के तहत कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से 02 वर्ष के परिबीक्षाकाल पर परिबीक्षाधीन प्रशिक्षु (Probationer-Trainee) के रूप में लिपिक ग्रेड-II (कनिष्ठ सहायक) के पद पर वित्त विभाग (नियम डिविजिन) द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.15(1)एफ.डी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.17 के शिड्युल 4 के तहत लेवल 5 में 14600/- (अक्षरे चौदह हजार छ सौ मात्र) स्थिर पारिश्रमिक मासिक की दर पर अधोलिखित शर्तों पर कार्यभार संभालने की तिथि से उनके सम्मुख अंकित कार्यालय में नियुक्त किया जाकर पदस्थापन एतद् द्वारा किया जाता है। उक्त समस्त नियुक्तियाँ उपरोक्त वर्णित रिट/अपीलों के अन्तिम निर्णय के अध्याधीन होगी।

क्र. स.	नाम	मेरिट नम्बर	संवर्ग	जन्म दिनांक	पदस्थापित कार्यालय का नाम
1.	श्री मनोज कुमार मीणा पुत्र श्री रामप्रसाद मीणा	4875	ST	15/09/1989	मुख्यालय अजमेर
2.	श्रीमती दीप्ति चौधरी पुत्री श्री रामसिंह	4288	BC WE	05/09/1990	उप महानिरीक्षक, सीकर
3.	सुश्री पूजा सिंह पुत्री श्री वीर सिंह	3237	GE WE	01/08/1992	मुख्यालय अजमेर
4.	श्री जसराज चौधरी पुत्र श्री भीयाराम	276	BC	12/01/1989	मुख्यालय, अजमेर
5.	कुमारी नर्गिस पठान पुत्री श्री अब्दुल कयुम पठान	4500	GE WE	07/08/1992	मुख्यालय अजमेर
6.	श्री हरजीत सिंह पुत्र श्री हरभजन सिंह	3126	BC	22/07/1993	मुख्यालय अजमेर
7.	श्री ताराचन्द यादव पुत्र श्री जगदीश प्रसाद यादव	772	BC	01/08/1990	मुख्यालय अजमेर
8.	श्री सुखविन्दर सिंह पुत्र श्री सुरैण सिंह	3612	BC	20/12/1989	उप महानिरीक्षक, बांसवाडा
9.	श्री सत्येन्द्र कुमार प्रजापत पुत्र श्री हरलाल प्रजापत	2709	BC	23/01/1992	उप महानिरीक्षक, बांसवाडा
10.	सुश्री छविपुरी पुत्री श्री विनोद पुरी	4935	GE WE	16/09/1989	उप महानिरीक्षक, हनुमानगढ
11.	श्री शिवम विश्णोई पुत्र श्री सुरज प्रकाश विश्णोई	3953	BC	15/08/1992	उप महानिरीक्षक, बाडमेर

- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है। अस्थाई सेवाकाल में बिना पूर्व सूचना अथवा नोटिस दिये किसी भी समय राज्य सेवा से पृथक किया जा सकता है।
- अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस के अन्दर अपने पद का कार्यभार सम्भालना होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।
- अभ्यर्थी की नियुक्ति तिथि कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यग्रहण की तिथि से मान्य होगी।
- उक्त नियुक्तियों सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र एफ.11/एसटी, एससी, ओबीसी, एसबीसी/जा. प्र.प्र./सामान्य अवि/2015/54159 दिनांक 09.09.15 पत्रांक 63606-726 दिनांक 20.10.15 एवं प. 11(204)आरएण्डपी/डीडीबीसी/सामान्य अवि/2011/68999-69032 जयपुर दिनांक 11.11.16 में वर्णित दिशा निर्देशों के अध्याधीन पूर्णतया अस्थाई रूप से रहेगी।
- परिबीक्षाधीन अवधि के दौरान वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना एफ.12(6) एफडी/रूल्स/05 दिनांक 13.03.2006, 6(6) एफडी/रूल्स/2005 दिनांक 13.03.2006, 1(2) एफडी/रूल्स/2006 दिनांक 13.03.2006, 13(1) एफडी/रूल्स/2003 दिनांक 13.03.2006 तथा राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) दिनांक 30.10.2017 के नियम 16 की अनुसूची-iv के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) के हकदार होंगे इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते जैसे मकान किराया भत्ता, मंहगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन, आदि देय नहीं होंगे। उक्त नियुक्ति में राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) 2017 की शर्त प्रभावी रहेगी।
- परिबीक्षा काल (Probation Period) में इन्हे कोई वार्षिक वेतनवृद्धि देय नहीं होगी।



7. दो वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि संतोषजनक पूर्ण करने के उपरान्त ही इनका वेतन निर्धारण कनिष्ठ सहायक के पद पर पे-मैट्रिक्स लेवल संख्या 5 में नियमानुसार वेतन एवं अन्य भत्ते देय होंगे।
8. अभ्यर्थियों की वरिष्ठता राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा जारी मेरिट के अनुसार रहेगी।
9. जो अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत हैं उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन भत्ते देय होंगे परन्तु पदस्थापन पर कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम (Through Proper Channel) से कार्यमुक्ति आदेश एवं गत भुगतान प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
10. अभ्यर्थियों का पदस्थापन अथवा स्थानान्तरण राज्य के किसी भी जिले में किया जा सकता है।
11. अभ्यर्थी को कार्यभार सम्भालने हेतु किसी प्रकार का यात्रा एवं अन्य भत्ते देय नहीं होंगे।
12. परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों के प्रावधानानुसार देय होंगे।
13. प्रोबेशनर ट्रेनी की सेवाएँ किसी भी समय एक माह की लिखित सूचना अथवा उसके बदले में एक माह का फिक्स रेमुनेरेशन देकर समाप्त की जा सकती है, किन्तु दुराचार/कदाचार संबंधी प्रतिवेदन पक्ष में नहीं होने के मामले में सेवाएँ समाप्त की जायेगी। तब किसी प्रकार की लिखित सूचना देना अनिवार्य नहीं है। राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एफ. 13(1)एफडी/रूल्स/2003 दिनांक 28.01.2004 एवं 27.03.2004 के तहत अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे एवं अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हों उनके अधीन ही सेवा एवं सेवालाभ देय होंगे।
14. उक्त नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/परिपत्रों के अन्तर्गत शामिल होगी एवं समय-समय पर जारी किये गये निर्देश/परिपत्र लागू होंगे।
15. कार्यग्रहण करने के पश्चात भविष्य में किसी पद हेतु आवेदन करने या प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने से पूर्व तथा अग्रिम अध्ययन (Further Study) के लिए परीक्षा फार्म से पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी से स्वीकृति/अनुमति प्राप्त करनी होगी।
16. कार्यभार सम्भालने की रिपोर्ट 2 प्रतियों में तैयार की जावे। एक प्रति संबंधित अधिकारी एवं दूसरी प्रति महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, अजमेर को आवश्यक रूप से भेजे। अभ्यर्थी कार्यभार सम्भालने की रिपोर्ट ई-मेल [igrs@rajasthan.gov.in](mailto:igrs@rajasthan.gov.in) के माध्यम से भी भेजी जावें।
17. समस्त अभ्यर्थियों के शिक्षा संबंधी एवं अन्य दस्तावेज कुट्टरचित एवं संदिग्ध पाये जाने पर नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जावेगी।

Scl—

(श्याम लाल गुर्जर)  
महानिरीक्षक

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,


राजस्थान, अजमेर

दिनांक : 4-7-18

क्रमांक : एफ2(1564)/स्था./पमु./2018/ 4956-5000

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) राजस्थान जयपुर को उनके पत्रांक 1(6)प्र0सु0/अनु-3/2017 दिनांक 08.02.2018 के संदर्भ में प्रेषित है।
2. सम्बन्धित जिला पुलिस अधीक्षक .....
3. सम्बन्धित उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक वृत्त ...../ सम्बन्धित उप पंजीयक ..... को भेजकर लेख है कि प्रशासनिक सुधार गुप-3 के पत्रांक प.1.(6)प्रसु/अनु-3/2017 दिनांक 08.02.18 में दिये गये बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित की जावे।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी .....
5. बिल शाखा मुख्यालय अजमेर।
6. सम्बन्धित अभ्यर्थी श्री/श्रीमती/सुश्री .....
7. निजी पत्रावली श्री/श्रीमती/सुश्री .....
8. गार्ड फाईल।

  
(श्याम लाल गुर्जर)  
महानिरीक्षक

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,  
राजस्थान, अजमेर